संख्या-274/2021/1232/41-2021-13(बजट)/2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2021**

विषयः- जनपद बस्ती के बडोखर स्थित पौराणिक शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7524/6-1-1(1005)/2018-19 दिनांक 19.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद बस्ती के बडोखर स्थित पौराणिक शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-94/2019/153(2)/41-2019-13(बजट)/2019 दिनांक 09 मार्च 2019 द्वारा धनराशि रू0 51.45 लाख (रूपये इक्यावन लाख पैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 10.29 लाख (रूपये दस लाख उन्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदन्तर शासनादेश संख्या-149/2019/1805/41-2020-13(बजट)/2019 दिनांक 04 अगस्त, 2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10.00 (रूपये दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। प्रायोजना हेतु अवमुक्त उक्त द्वितीय किश्त के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, संयुक्त निरीक्षण आख्या, यू0पी0पी0सी0एल0 लि0 बस्ती के भौतिक व वित्तीय प्रगति आख्या, बार चार्ट, यू0सी0 परीक्षण समिति की आख्या एवं फोटोग्राफ्स को उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध कियागया है, जिसके क्रम में प्रश्नगत चालू प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-126/2020/750/41-2020-13(बजट)/2019, दिनांक 31.03.2020 द्वारा रू0 51.45+जी0एस0टी0 की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को कराये जाने हेतु अवशेष रू0 41.16 लाख (रूपये इकतालीस लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई, परन्तु उक्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कतिपय कारणों से धनराशि का आहरण नहीं हो सका, जिसके दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** के आय-व्ययक में मद सं**0- 08-** मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि पुनः निर्गत करने का अनुरोध महानिदेशक, पर्यटन द्वारा किया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-**126/2020/750/41-2020-13(**बजट)/**2019,** दिनांक **31.03.2020** द्वारा निर्गत की गयी **रू0 41.16** लाख की वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक **31.03.2020** द्वारा जारी प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति **रू0 51.45** लाख**+**जी**0**एस**0**टी**0** के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 10.29** लाख एवं द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 10.00** अर्थात कुल अवमुक्त धनराशि **रू0 20.29** लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि **रू0 31.16** में से प्रायोजना हेतु स्वीकृति धनराशि **रू0 51.45** लाख के **50** प्रतिशत की धनराशि अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि **रू0 25.72** लाख (रूपये पच्चीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 09.03.2019 एवं दिनांक 21.09.2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में चतुर्थ किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्य-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5- प्रस्तर-3 में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बस्ती मण्डल सिद्धार्थनगर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0 बस्ती।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।